उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या- 124/2026/560के-2/22-3-25-17(761)/2023
लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम बहादुर (बन्दी संख्या-46672) पुत्र श्री भगौती यादव, निवासी ग्राम-पल्लेपुर, थाना-खण्डासा, जनपद-अयोध्या, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-375/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 30.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, की दिनांक 27.05.2022 तक आयु 65 वर्ष 11 माह 29 दिन होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दिनांक 27.05.2022 तक 16 वर्ष 06 दिन की अपरिहार सजा एवं 19 वर्ष 06 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगने के दृष्टिगत शेष सजा को परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
3- पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in